मैसर्स ओ.एन.जी.सी लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क आयोग, मुंबई

1 अगस्त 2007

[माननीय न्यायामुर्ति श्री एस.बी. सिन्हा और श्री मार्कंडेय काटजू ]

सीमा शुल्क के रूप मे वसूली राशि जो अंततः करदाता को वापस कर दी गई थी, पर ब्याज राशि का दावा किया गया- निर्णित-कर दाता सिद्धांत रूप में, इक्विटी में भी, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आवेदन पर जमा की गई राशि पर ब्याज का हकदार है-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि करदाता द्वारा अदा की गई राशि पहले ही वापस कर दी गई है, करदाता द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज @ 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देना होगा- क्षातिपूर्ति का सिद्धांत- सीमा शुल्क- इक्विटी पर ब्याज।

प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम तेल ओर प्राकृतिक गैस आयोग (2003)8 एसीसी 593 और मेकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैडर्ड कम्पनी लिमिटेड और अन्य,(2006)6 स्केल 220 पर भरोसा किया

साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य (2003)8 एसीसी 648 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आई.ए.न.4 में सिविल अपील सं. 1882/2004

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई पश्चिम द्वारा अपील संख्या 51/2022 में पारित अंतिम आदेश संख्या सी-II/32-19/डब्ल्यू.जेड.वी./2003 दिनांक 09.12.2003 से

साथ में

आई.ए. न.4 में सिविल अपील सं. 854/2005

अपीलार्थी की और से एस. गणेश, शिवप्रकाश पांडेय, रेखा पांडेय और राजकुमार तंवर।

प्रत्यर्थी की और से राजीव दत्ता, एम.एफ. हुमायुंनिसा, सुभा राव और बी कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का आदेश दिया गया।

आदेश

माननीय न्यायामूर्ति श्री एस.बी.सिन्हा अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षे़त्र का उपक्रम है जो पुर्ण रूप से केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है। इसने अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसर्स सेडको

फोरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग इंक. की सेवाएं प्राप्त की जो तेल और गैस की खोज के मामले में इसकी सहायता करेगी। इस तरह एकत्र की गई जानकारी 3-डी भुकम्पीय टेप में दर्ज की गई थी। इसलिए अदा की गई राशि पर सीमा शुल्क लगाने की मांग की गई थी। अपील कर्ता द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना के संदर्भ में सीमाशुल्क के भुगतान से छूट का दावा किया गया था। चूंकि इस तरह के दावे के बावजूद, मुल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई और पूरी की गई, मामला इस न्यायालय में आया और दिनांक 24.08.2006 के एक निर्णय और आदेश द्वारा अपील कर्ता के तर्क को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और मुल्यांकन के आदेशों को रद्ध कर दिया गया।

इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपीलों के लंबित रहने के दौरान, निम्न लिखित विवरणों के अनुसार सीमाशुल्क और उस पर ब्याज आदि के माध्यम से 54,72,87,536.00 रूपये की राशि वसूल की गई थीं।

I. (अ). 14.09.2004 रूपये 25,00,00,000.00 ड्यूटी में समायोजित किये गये

II. (ब). 30.03.2004 रूपये 17,72,87,536.00 ब्याज के रूप में विनियोजित

III.(स.) 24.02.2005 रूपये 1200,00,000.00 ब्याज के रूप में समायोजित

**कुल रूपये 54,72,87,536.00**

प्रत्यर्थी को वसुली की तारीख से अपील की तारीख तक उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

अपीलकर्ता की और से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने निवेदन किया की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता को सिविल अपील के लंबित रहने के दौरान एक बडी राशि जमा करनी थी, न्याय का उद्देशीय पूर्ण होगा यदि यह न्यायालय प्रत्यर्थी को उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देता है। यह निवेदन किया गया था की ब्याज को क्षतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य (2003)8 एसीसी 648 में कहा गया है।

दूसरी और प्रत्यर्थी की और से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव दत्ता ने निवेदन किया था कि केन्द्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से प्राप्त राशि का कोई निवेश नहीं किया, बल्कि लोगो के कल्याण

के लिए इसे खर्च किया और इस प्रकार, तत्काल मामले में कोई ब्याज राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रत्यर्थी केन्द्र सरकार है। हम इस बात से सहमत है कि सैद्धांतिक रूप से और इक्विटी में भी अपीलकर्ता बहाली के सिद्धांत के आवेदन पर जमा की गई राशि पर ब्याज का हकदार है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पहले ही वापस की जा चुकी है, हम निर्देश देते है की अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा, इस संबंध में प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम तेल ओर प्राकृतिक गैस आयोग (2003)8 एसीसी 593 और मेकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैडर्ड कम्पनी लिमिटेड और अन्य,(2006)6 स्केल 220 का संदर्भ दिया जा सकता है।

इसलिए प्रत्यर्थी को ब्याज के रूप में 9,51,21,999.50 रूपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह की राशि का भुगतान तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। तद्नुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर.पी अन्तर्वती आवेदन का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पंकज कुमार काबरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।